भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2605

04 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

अवैध खनन

2605. श्रीमती रंजीता कोलीः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान के भरतपुर जिले में पहाड़ों में अवैध खनन और खुदाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ) : भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय), द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भरतपुर जिला, राजस्थान में प्रमुख खनिजों के लिए कोई खनन पट्टा नहीं है। इसके अतिरिक्त, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957, की धारा 23ग के तहत, अवैध खनन की रोकथाम के लिए नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है। राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्यों में अवैध खनन, परिवहन एवं खनिजों के भंडारण की रोकथाम तथा उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भरतपुर जिले में गौण खनिजों के अवैध खनन के संबंध में खनन एवं भूविज्ञान निदेशालय, राजस्थान से त्रैमासिक आधार पर प्राप्त सूचना निम्नानुसार है:

वर्ष	मामलों की सं.	जब्ती		दर्ज एफआईआर	दर्ज न्यायिक मामले	वसूला गया जुर्माना (रू.)
		परिवहन वाहन	खनन मशीनरी			
		सं.	सं.	सं.	सं.	
2017-18	16	0	14	3	1	2536378
2018-19	22	2	6	4	0	6878515
2019-20 पहली तिमाही तक	10	0	5	3	0	2255100

स्रोत: राज्य सरकार

*****